Jh fl) ckck ckyd ukFk efUnj U;kl fn;kV fl)] rglhy cMlj] ftyk gehjiqj] fgekpy izns'k ds fuf/k ys[kkvksa dk vads{k.k izfrosnu

vof/k 01-01-2009 ls 31-12-2009 rd

Hkkx&,d

1 xr vads{k.k %& गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर मन्दिर न्यास द्वारा की गई आंषिक कार्यवाही के उपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि संस्था के विभिन्न अवधियों में अनेकानेक अनुच्छेद अभी भी निपटारे हेतु लम्बित पड़े हैं। अतः इस प्रकरण में उदासीनता न बरतते हुए समस्त अनुच्छेदों के निपटारे हेतु तुरन्त उचित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए :–

¼d½ vads{k.k izfrosnu vof/k 1@2001 ls 12@2001

1	पैरा 4(3)(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(3)(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(क)(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(क)(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(क)(3)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(क) 5(ग)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(क) 7(ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(क) 8(क)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(क) 8(ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(क) 8(ग)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(क) 9(क)	अनिर्णीत
12	पैरा 5(क) 9(ख)	अनिर्णीत
13	पैरा 5(क) 11	अनिर्णीत
14	पैरा 5(क) 14	अनिर्णीत
15	पैरा 5(क) 17	अनिर्णीत
16	पैरा 5(क) 18	अनिर्णीत
17	पैरा 5(क) 19(क)(1)	अनिर्णीत

18	पैरा 5(क) 19(क)(2)	अनिर्णीत	
19	पैरा 5(क) 20(क)	अनिर्णीत	
20	पैरा 5(ख) 2(क)	अनिर्णीत	
21	पैरा 5(ख) 2(ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा 5(ख) 3(ग)(1)	अनिर्णीत	
23	पैरा 5(ख) 3(ग)(2)	अनिर्णीत	
24	पैरा 5(ख) 6(क)	अनिर्णीत	
25	पैरा 5(ख) 6(क)(1)	अनिर्णीत	
26	पैरा 5(ख) 6(ख)(2)	अनिर्णीत	
27	पैरा 5(ख) 6(ख)(3)	अनिर्णीत	
28	पैरा 5(ख) 6(ग)	अनिर्णीत	
29	पैरा 5(ख) 6(घ)	अनिर्णीत	
30	पैरा 5(ख) 7	अनिर्णीत	
31	पैरा 5(ख) 8(क)	अनिर्णीत	
32	पैरा 5(ख) 8(ख)	अनिर्णीत	
33	पैरा 5(ख) 8(ग)(1)	अनिर्णीत	
34	पैरा 5(ख) 8(ग)(2)	अनिर्णीत	
35	पैरा 5(ख) 8(घ)	अनिर्णीत	
36	पैरा 5(ख) 8(छ)	अनिर्णीत	
37	पैरा 5(ख) 8(ग)	अनिर्णीत	
38	पैरा 5(ग) 9(ख)	अनिर्णीत	
39	पैरा 5(ग) 10(क)	अनिर्णीत	
40	पैरा 5(ग) 11	निर्णीत	(₹407/—की वसूली रसीद संख्या 8818 दिनांक, 03.12.10 व 10344 दिनांक, 28.01.11 के द्वारा जमा करवा दी गई)
41	पैरा 5(ग) 12(ख)	अनिर्णीत	
42	पैरा 5(ग) 12(ग)	अनिर्णीत	
43	पैरा 5(ग) 14(ख)	अनिर्णीत	
44	पैरा 6(क) (1)	अनिर्णीत	
45	पैरा 6(क) (3)	अनिर्णीत	

46	पैरा 6(क) (4)	अनिर्णीत	
47	पैरा 6(क) (5)	अनिर्णीत	
48	पैरा 6(क) (7)	अनिर्णीत	
49	पैरा 6(क) 11(क)	अनिर्णीत	
50	पैरा 6(क) 11(ख)	अनिर्णीत	
51	पैरा 6(क) 11(ग)	अनिर्णीत	
52	पैरा 6(क) 13	निर्णीत	(₹590/– की वसूली रसीद संख्या 8819 व 8820 के द्वारा दिनांक 03.12.10 को कर ली गई।)
53	पैरा 6(क) 15	अनिर्णीत	
54	पैरा 6(क) 16	अनिर्णीत	
55	पैरा 6(क) 17	अनिर्णीत	
56	पैरा 6(क) 20	अनिर्णीत	
57	पैरा 6(क) 21	अनिर्णीत	
58	पैरा 6(क) 23	अनिर्णीत	
59	पैरा 6(क) 24	अनिर्णीत	
60	पैरा 6(क) 26	अनिर्णीत	
61	पैरा 6(ग) 1	अनिर्णीत	
62	पैरा 6(ग) 2	निर्णीत	(सेवा पंजिकाऐं दिखा दी गई।)
63	पैरा 6(घ) 1	अनिर्णीत	
64	पैरा 6(घ) 2(क)	निर्णीत	(₹589/–की वसूली रसीद संख्या 8821, दिनांक 03.12.10 के द्वारा कर ली गई)
65	पैरा 6(घ) 2(ख)	अनिर्णीत	
66	पैरा 6(घ) 2(ग)	अनिर्णीत	
67	पैरा 6(घ) 3	अनिर्णीत	
68	पैरा 6(घ) 4	अनिर्णीत	
69	पैरा 6(घ) 5	अनिर्णीत	
70	पैरा 6(घ) 6	अनिर्णीत	
71	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत	
72	पैरा 8(1)	अनिर्णीत	
73	पैरा 8(2)	अनिर्णीत	

74	पैरा 11(1)	अनिर्णीत	
75	पैरा 11(2)	अनिर्णीत	
76	पैरा 11(4)	अनिर्णीत	

¼[k½ vads{k.k izfrosnu vof/k 1@2002 ls 12@2002

1	पैरा 6(1)(क)	अनिर्णीत	
2	पैरा 6(1)(ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा 6(2)	अनिर्णीत	
4	पैरा 6(5)(क)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(5)(ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा 6(5)(ग)	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है)
7	पैरा 6(7)	अनिर्णीत	
8	पैरा 6(8)	अनिर्णीत	
9	पैरा 6(9)	अनिर्णीत	
10	पैरा 6(10)(क)	अनिर्णीत	
11	पैरा 6(10)(ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा 6(13)	अनिर्णीत	
13	पैरा 6(14)(क)	अनिर्णीत	
14	पैरा 6(15)	अनिर्णीत	
15	पैरा 6(16)(क)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही कर के दिखा दी गई)
16	पैरा 6(17)	अनिर्णीत	
17	पैरा 6(20)	अनिर्णीत	
18	पैरा 6(21)	अनिर्णीत	
19	पैरा 6(22)(क)	अनिर्णीत	
20	पैरा 6(22)(ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा 6(22)(घ)	अनिर्णीत	
22	पैरा 6(23)	अनिर्णीत	
23	पैरा 6(24)(क)	अनिर्णीत	
24	पैरा 6(24)(ख)	अनिर्णीत	
25	पैरा 6(24)(ग)	अनिर्णीत	

26	पैरा 6(24)(घ)	अनिर्णीत	
27	पैरा 6(24)(ङ)	अनिर्णीत	
28	पैरा 6(25)(क)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
29	पैरा 6(25)(ख)	निर्णीत	(हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड से रसीद प्राप्त कर के दिखा दी गई)
30	पैरा 6(26)	अनिर्णीत	
31	पैरा 6(27)	अनिर्णीत	
32	पैरा 6(28)	अनिर्णीत	
33	पैरा 6(31)	अनिर्णीत	
34	पैरा 6(41)	अनिर्णीत	
35	पैरा 6(43)	निर्णीत	(₹400 ⁄ –की वसूली रसीद संख्या 10343, दिनांक 28.01.11 के द्वारा कर ली गई)
36	पैरा 6(44)	अनिर्णीत	
37	पैरा 6(46)	अनिर्णीत	
38	पैरा 6(47)	अनिर्णीत	
39	पैरा 6(48)	अनिर्णीत	
40	पैरा 6(49)	अनिर्णीत	
41	पैरा 6(50)	अनिर्णीत	
42	पैरा 6(54)	अनिर्णीत	
43	पैरा 7(6)	निर्णीत	(कम जमा सामग्री को जमा करवा दिया गया)
44	पैरा 8(1)	अनिर्णीत	
45	पैरा 8(2)	अनिर्णीत	
46	पैरा 8(3)	अनिर्णीत	
47	पैरा 8(4)	अनिर्णीत	
48	पैरा 8(7)	अनिर्णीत	

¼x½ vd{k.k ifronu vof/k 1@03 ls 12@03

1	पैरा 3(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 4	अनिर्णीत

4	पैरा 5(1)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(1)(क)	अनिर्णीत	
6	पैरा 6(1)(ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा 6(1)(ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा 6(2)	अनिर्णीत	
9	पैरा 6(4)	अनिर्णीत	
10	पैरा 6(7)	अनिर्णीत	
11	पैरा 6(9)(क)	अनिर्णीत	
12	पैरा 6(9)(ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा 6(10)(क)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
14	पैरा 6(10)(ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा 6(10)(ग)	निर्णीत	(अनुपालना हेतु उचित कार्यवाही कर ली गई है)
16	पैरा 6(11)(क)	अनिर्णीत	
17	पैरा 6(11)(ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा 6(12)(क)	अनिर्णीत	
19	पैरा 6(12)(ख)	अनिर्णीत	
20	पैरा 6(12)(ग)	अनिर्णीत	
21	पैरा 6(14)(क)	अनिर्णीत	
22	पैरा 6(14)(ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा 6(15)(क)	अनिर्णीत	
24	पैरा 6(15)(ख)	अनिर्णीत	
25	पैरा 6(15)(ग)	अनिर्णीत	
26	पैरा 6(16)	अनिर्णीत	
27	पैरा 6(17)(क)	अनिर्णीत	
28	पैरा 6(17)(ख)	अनिर्णीत	
29	पैरा 6(18)(क)	अनिर्णीत	
30	पैरा 6(18)(ख)	अनिर्णीत	
31	पैरा 6(19)(ङ)	अनिर्णीत	
32	पैरा 6(20)(ख)	अनिर्णीत	

33	पैरा 6(21)	अनिर्णीत
34	पैरा 6(22)	अनिर्णीत
35	पैरा 6(23)	अनिर्णीत
36	पैरा 6(25)(क)	अनिर्णीत
37	पैरा 6(25)(ख)	अनिर्णीत
38	पैरा 6(25)(ग)	अनिर्णीत
39	पैरा 6(27)	अनिर्णीत
40	पैरा 6(28)	अनिर्णीत
41	पैरा 6(30)	अनिर्णीत
42	पैरा 6(32)	अनिर्णीत
43	पैरा 6(33)(क)	अनिर्णीत
44	पैरा 6(33)(ख)	अनिर्णीत
45	पैरा 6(34)	अनिर्णीत
46	पैरा 6(35)	अनिर्णीत
47	पैरा 6(36)(क)	अनिर्णीत
48	पैरा 6(36)(ख)	अनिर्णीत
49	पैरा 6(37)	अनिर्णीत
50	पैरा 6(39)	अनिर्णीत
51	पैरा 6(40)	अनिर्णीत
52	पैरा 6(42)	अनिर्णीत
53	पैरा 6(43)	अनिर्णीत
54	पैरा 6(44)	अनिर्णीत
55	पैरा 6(45)	अनिर्णीत
56	पैरा 6(46)	अनिर्णीत
55	पैरा 7(4)	अनिर्णीत
56	पैरा 7(6)	अनिर्णीत
57	पैरा 8(1)	अनिर्णीत
58	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
59	पैरा 8(4)	अनिर्णीत

¼?k½ vdk{k.k ifronu vof/k 1@04 ls 12@04

1	पैरा 5(3)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(1)(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(1)(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(1)(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(1)(घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(1)(ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा 6(1)(च)	अनिर्णीत
8	पैरा 6(2)(क)	अनिर्णीत
9	पैरा 6(3)(क)	अनिर्णीत
10	पैरा 6(3)(ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 6(4)(क)	अनिर्णीत
12	पैरा 6(4)(ख)	अनिर्णीत
13	पैरा 6(4)(ग)	अनिर्णीत
14	पैरा 6(5)(क)	अनिर्णीत
15	पैरा 6(5)(ख)	अनिर्णीत
16	पैरा 6(6)(क)	अनिर्णीत
17	पैरा 6(6)(ख)	अनिर्णीत
18	पैरा 6(6)(ग)	अनिर्णीत
19	पैरा 6(7)(क)	अनिर्णीत
20	पैरा 6(7)(ख)	अनिर्णीत
21	पैरा 6(7)(ग)	अनिर्णीत
22	पैरा 6(7)(घ)	अनिर्णीत
23	पैरा 6(8)	अनिर्णीत
24	पैरा 6(9)(क)	अनिर्णीत
25	पैरा 6(9)(ख)	अनिर्णीत
26	पैरा 6(9)(ग)	अनिर्णीत
27	पैरा 6(9)(घ)(1)	अनिर्णीत

28	पैरा 6(9)(घ)(2)	अनिर्णीत
29	पैरा 6(9)(ङ)	अनिर्णीत
30	पैरा 6(9)(च)	अनिर्णीत
31	पैरा 6(9)(छ)	अनिर्णीत
32	पैरा 6(9)(ज)	अनिर्णीत
33	पैरा 6(9)(झ)(1)	अनिर्णीत
34	पैरा 6(9)(झ)(2)	अनिर्णीत
35	पैरा 6(11)	अनिर्णीत
36	पैरा 6(12)	अनिर्णीत
37	पैरा 6(13)	अनिर्णीत
38	पैरा 6(14)(क)	अनिर्णीत
39	पैरा 6(14)(ख)	अनिर्णीत
40	पैरा 6(15)(क)	अनिर्णीत
41	पैरा 6(15)(ख)	अनिर्णीत
42	पैरा 6(17)(क)	अनिर्णीत
43	पैरा 6(17)(ख)	अनिर्णीत
44	पैरा 6(18)	अनिर्णीत
45	पैरा 6(19)(क)	अनिर्णीत
46	पैरा 6(19)(ख)	अनिर्णीत
47	पैरा 6(20)(ख)	अनिर्णीत
48	पैरा 6(20)(ग)	अनिर्णीत
49	पैरा 6(21)	अनिर्णीत
50	पैरा 6(22)	अनिर्णीत
51	पैरा 6(23)	अनिर्णीत
52	पैरा 6(26)(ख)	अनिर्णीत
53	पैरा 6(26)(ग)	अनिर्णीत
54	पैरा 6(26)(घ)	अनिर्णीत
55	पैरा 6(27)(क)	अनिर्णीत
56	पैरा 6(27)(ख)	अनिर्णीत
57	पैरा 6(27)(ग)	अनिर्णीत

58	पैरा 6(27)(घ)	अनिर्णीत	
59	पैरा 6(27)(ङ)(1)	अनिर्णीत	
60	पैरा 6(27)(ङ)(2)	अनिर्णीत	
61	पैरा 6(27)(ङ)(3)	अनिर्णीत	
62	पैरा 6(27)(च)(1)	अनिर्णीत	
63	पैरा 6(27)(च)(2)	अनिर्णीत	
64	पैरा 6(27)(च)(3)	अनिर्णीत	
65	पैरा 6(27)(च)(4)	अनिर्णीत	
66	पैरा 6(27)(छ)(1)	अनिर्णीत	
67	पैरा 6(27)(छ)(2)	अनिर्णीत	
68	पैरा 6(27)(छ)(3)	अनिर्णीत	
69	पैरा 6(27)(ज)(1)	अनिर्णीत	
70	पैरा 6(27)(झ)(1)	अनिर्णीत	
71	पैरा 6(27)(झ)(2)	अनिर्णीत	
72	पैरा 6(28)	अनिर्णीत	
73	पैरा 6(29)	अनिर्णीत	
74	पैरा 6(30)	अनिर्णीत	
75	पैरा 6(31)	अनिर्णीत	
76	पैरा 6(32)	अनिर्णीत	
77	पैरा 6(33)	अनिर्णीत	
78	पैरा 6(34)	अनिर्णीत	
79	पैरा 6(35)	अनिर्णीत	
80	पैरा 6(36)	अनिर्णीत	
81	पैरा 6(38)	अनिर्णीत	
82	पैरा 6(39)	अनिर्णीत	
83	पैरा 6(40)	अनिर्णीत	
84	पैरा 6(41)	अनिर्णीत	
85	पैरा 6(42)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
86	पैरा 6(43)	अनिर्णीत	

87	पैरा 6(45)	अनिर्णीत	
88	पैरा 6(46)	अनिर्णीत	
89	पैरा 6(47)	अनिर्णीत	
90	पैरा 6(48)	अनिर्णीत	
91	पैरा 6(50)(क)	अनिर्णीत	
92	पैरा 6(50)(ख)	अनिर्णीत	
93	पैरा 6(51)	अनिर्णीत	
94	पैरा 6(52)	अनिर्णीत	
95	पैरा 6(53)	अनिर्णीत	
96	पैरा 6(54)	अनिर्णीत	
97	पैरा 6(55)	अनिर्णीत	
98	पैरा 6(56)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
99	पैरा 6(57)	अनिर्णीत	
100	पैरा 6(58)(क)	अनिर्णीत	
101	पैरा 6(58)(ख)	अनिर्णीत	
102	पैरा 6(59)	अनिर्णीत	
103	पैरा 6(60)	अनिर्णीत	
104	पैरा 6(61)	अनिर्णीत	
105	पैरा 6(62)	अनिर्णीत	
106	पैरा 6(63)	अनिर्णीत	
107	पैरा 6(64)	अनिर्णीत	
108	पैरा 6(65)	अनिर्णीत	
109	पैरा 6(66)	अनिर्णीत	
110	पैरा 6(67)	अनिर्णीत	
111	पैरा 6(68)	अनिर्णीत	
112	पैरा 6(69)	अनिर्णीत	
113	पैरा 6(70)	अनिर्णीत	
114	पैरा 6(71)(क)	अनिर्णीत	
115	पैरा 6(71)(ख)	अनिर्णीत	

116	पैरा 6(71)(ग)(1)	अनिर्णीत	
117	पैरा 6(71)(ग)(2)	अनिर्णीत	
118	पैरा 6(72)	अनिर्णीत	
119	पैरा 6(73)	अनिर्णीत	
120	पैरा 6(74)	अनिर्णीत	
121	पैरा 6(75)	अनिर्णीत	
122	पैरा 6(76)	अनिर्णीत	
123	पैरा 6(77)	अनिर्णीत	
124	पैरा 6(78)	अनिर्णीत	
125	पैरा 6(79)(क)	अनिर्णीत	
126	पैरा 6(79)(ख)	अनिर्णीत	
127	पैरा 6(80)	निर्णीत	(आवष्यक कार्यवाही कर के दिखा दी गई)
128	पैरा 6(81)(क)	अनिर्णीत	
129	पैरा 6(81)(ख)	अनिर्णीत	
130	पैरा 6(84)	अनिर्णीत	
131	पैरा 6(86)(क)	अनिर्णीत	
132	पैरा 6(86)(ख)	अनिर्णीत	
133	पैरा 7(1)	अनिर्णीत	
134	पैरा 7(2)	अनिर्णीत	
135	पैरा 7(3)	अनिर्णीत	
136	पैरा 7(4)	अनिर्णीत	
137	पैरा 7(5)	अनिर्णीत	
138	पैरा 8(6)	अनिर्णीत	
139	पैरा 9(1)	अनिर्णीत	
140	पैरा 9(2)	अनिर्णीत	
141	पैरा 9(3)	अनिर्णीत	
142	पैरा 9(5)	अनिर्णीत	
143	पैरा 9(7)	अनिर्णीत	
144	पैरा 10(1)	स्वतः निर्णीत	
145	पैरा 10(3)(क)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के

			दृष्टिगत पैरा समाप्त)
146	पैरा 10(3)(ख)	निर्णीत	(मन्दिर न्यास द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
147	पैरा 10(3)(ग)	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही कर के दिखा दी गई)
148	पैरा 10(4)(ख)	अनिर्णीत	
149	पैरा 10(6)	अनिर्णीत	
150	पैरा 10(7)	अनिर्णीत	
151	पैरा 10(8)	निर्णीत	(₹180/– की वसूली कर के यूको बैंक दियोट सिद्ध में दिनांक 31.01.11 को जमा करवा दिए गए)
152	पैरा 10(12)	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही कर के दिखा दी गई)
153	पैरा 10(13)	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही कर के दिखा दी गई)
154	पैरा 10(16)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
155	पैरा 10(17)	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
156	पैरा 10(21)	अनिर्णीत	

¼3½ vd{k.k ifronu vof/k 1@05 ls 12@05

1	पैरा 5(4)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(5)(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(5)(ख)(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(5)(ख)(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(5)(ख)(3)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(5)(ख)(4)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(5)(ग)(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(5)(ग)(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(5)(ग)(3)	अनिर्णीत

10	पैरा 5(5)(ग)(4)	अनिर्णीत	
11	पैरा 5(5)(ग)(5)	अनिर्णीत	
12	पैरा 5(5)(ग)(6)	अनिर्णीत	
13	पैरा 9	अनिर्णीत	
14	पैरा 10	अनिर्णीत	
15	पैरा 11	अनिर्णीत	
16	पैरा 13	अनिर्णीत	
17	पैरा 14	अनिर्णीत	
18	पैरा 16	अनिर्णीत	
19	पैरा 17(1)	अनिर्णीत	
20	पैरा 17(2)	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही करके दिखा दी गई)
21	पैरा 18(1)	अनिर्णीत	
22	पैरा 18(2)	अनिर्णीत	
23	पैरा 19	अनिर्णीत	
24	पैरा 20	अनिर्णीत	
25	पैरा 21(1)	अनिर्णीत	
26	पैरा 21(2)	अनिर्णीत	
27	पैरा 22	अनिर्णीत	
28	पैरा 24(1)	अनिर्णीत	
29	पैरा 24(2)	अनिर्णीत	
30	पैरा 24(3)	अनिर्णीत	
31	पैरा 25(1)	अनिर्णीत	
32	पैरा 25(2)	अनिर्णीत	
33	पैरा 25(3)	अनिर्णीत	
34	पैरा 27	अनिर्णीत	
35	पैरा 28(1)	अनिर्णीत	
36	पैरा 28(2)	अनिर्णीत	
37	पैरा 28(3)	अनिर्णीत	
38	पैरा 29(1)	अनिर्णीत	
39	पैरा 29(2)	अनिर्णीत	

40	पैरा 30(1)	अनिर्णीत	
41	पैरा 30(2)	अनिर्णीत	
42	पैरा 30(3)	अनिर्णीत	
43	पैरा 30(4)	अनिर्णीत	
44	पैरा 30(5)	अनिर्णीत	
45	पैरा 31	अनिर्णीत	
46	पैरा 32(1)	अनिर्णीत	
47	पैरा 32(3)	अनिर्णीत	
48	पैरा 32(4)	अनिर्णीत	
49	पैरा 32(5)	अनिर्णीत	
50	पैरा 32(6)	अनिर्णीत	
51	पैरा 33	अनिर्णीत	
52	पैरा 34	अनिर्णीत	
53	पैरा 35	अनिर्णीत	
54	पैरा 36	अनिर्णीत	
55	पैरा 38(1)	अनिर्णीत	
56	पैरा 40(क)(1)	अनिर्णीत	
57	पैरा 40(क)(2)	अनिर्णीत	
58	पैरा 40(क)(3)	अनिर्णीत	
59	पैरा 40(ख)	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना दिखा दी गई)
60	पैरा 41	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई हैं)
61	पैरा 46	अनिर्णीत	
62	पैरा 47(1)	अनिर्णीत	
63	पैरा 47(2)	अनिर्णीत	
64	पैरा 47(3)	अनिर्णीत	

¼p½ vads{k.k izfrosnu vof/k 1@06 ls 12@06

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत

3	पैरा 7	अनिर्णीत	
4	पैरा 8	अनिर्णीत	
5	पैरा 10(1)	अनिर्णीत	
6	पैरा 10(2)	अनिर्णीत	
7	पैरा 12(1)(क)	अनिर्णीत	
8	पैरा 12(2)	अनिर्णीत	
9	पैरा 13	अनिर्णीत	
10	पैरा 14	अनिर्णीत	
11	पैरा 15	अनिर्णीत	
12	पैरा 20	अनिर्णीत	
13	पैरा 21(2)	निर्णीत	(अनुपालना करके अंकेक्षण को दिखा दी गई)
14	पैरा 22(2)	अनिर्णीत	

¼N½ vd{k.k ifronu vof/k 1@07 l 12@07

1	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 11(क)	अनिर्णीत
7	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 11(ग)	अनिर्णीत
9	पैरा 13(क)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 14	अनिर्णीत
12	पैरा 15	अनिर्णीत
13	पैरा 16	अनिर्णीत
14	पैरा 17	अनिर्णीत
15	पैरा 20	अनिर्णीत
16	पैरा 21(2)	अनिर्णीत

17	पैरा 22	अनिर्णीत	
18	पैरा 25	अनिर्णीत	

¼t½ vdk{k.k ifronu vof/k 1@08 ls 12@08

1	पैरा 4	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(2)	अनिर्णीत	
3	पैरा 6(क)	अनिर्णीत	
4	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11(क)	अनिर्णीत	
10	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा 12	अनिर्णीत	
12	पैरा 13	अनिर्णीत	
13	पैरा 14	अनिर्णीत	
14	पैरा 15	निर्णीत	(मन्दिर अधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
15	पैरा 16	अनिर्णीत	
16	पैरा 17	अनिर्णीत	
17	पैरा 18	अनिर्णीत	
18	पैरा 19	अनिर्णीत	
19	पैरा 20(क)	अनिर्णीत	
20	पैरा 20(ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा 21	अनिर्णीत	
22	पैरा 22	अनिर्णीत	
23	पैरा 23	निर्णीत	(वांछित अभिलेख अंकेक्षण को दिखा दिया गया)
24	पैरा 24	अनिर्णीत	
25	पैरा 25(क)	अनिर्णीत	

26	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत	
27	पैरा 26	अनिर्णीत	
28	पैरा 28	अनिर्णीत	
29	पैरा 29	अनिर्णीत	
30	पैरा 30	अनिर्णीत	
31	पैरा 31	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही करके दिखा दी गई)
32	पैरा 32	अनिर्णीत	
33	पैरा 33(1)	अनिर्णीत	
34	पैरा 33(2)	अनिर्णीत	

Hkkx&2

2 orZeku vads{k.k %&

मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध के खातों का वर्तमान अंकेक्षण अवधि 1/2009 से 12/2009 तक श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री विद्या सागर, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19.10.2010 से 07.02.2011 तक दियोट सिद्ध में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय पक्ष के लिए 3/2009 व व्यय पक्ष के लिए 7/2009 का चयन किया गया।

Disclaimes :-

"Audit Report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the Controlling Officer of the Temple Trust. Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation or non-submission of information on the Past of Auditee. Responsibility of audit is confined to the months selected for test/detail check".

3 foÙkh; fLFkfr %&

अवधि 1/2009 से 12/2009 तक मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध के खातों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

¼d½

दिनांक 01.01.2009 को अथषेष	13,05,03,946.59
वर्ष में प्राप्त राषि	11,01,65,081.96
कुल राषि	24,06,69,028.55
वर्ष में खर्च की गई राषि	7,82,73,114.00
दिनांक 31.12.2009 को अन्मि शेष	16,23,95,914.55

¼[k½ 31-12-2009 dks vfUre 'ks"k dk fooj.k %&

1	vkQfjax ,.M Mksu'ku [kkrk	
(क)	सवधि जमा में निवेषित राषि	7,91,69,420.00
(ख)	बचत खाते में जमा राषि	1,79,82,047.55
2	efUnj [kkrk	
(क)	सावधि जमा में निवेषित राषि	3,97,98,739.00
(ख)	बचत खाते में जमा राषि	24,452.00
3	fxjkoV fuf/k	
(क)	सावधि जमा में निवेषित राषि	1,24,57,876.00
(ख)	बचत खाते में जमा राषि	10,117.00
4	lafpr fuf/k	
(क)	सावधि जमा में निवेषित राषि	1,23,41,336.00
(ख)	बचत खाते में जमा राषि	17,725.00
5	izfrHkkfr fuf/k	
(क)	बचत खाते में जमा राषि	5,94,202.00
	dqy jkf'k	16]23]95]914-55

¼x½ efUnj U;kl dh vk; o O;; dk xr o"kksZa ls rqyukRed fooj.k %&

o"kZ	vk;	O;;
2007	7,71,07,355.66	4,95,97,078.00
2008	9,06,58,413.07	7,41,40,356.00
2009	10,37,18,527.96	7,82,73,114.00

¼?k½ Lkkeku ,oa pkanh dk vk; fooj.k vof/k 01-01-2009 ls 31-12-2009 %&

(1)	lkeku	fdyksxzke	xzke	feyhxzke
	01.01.2009 को अथषेष	16	013	629

वर्ष में प्राप्त (अषुद्ध सोना)		00	926	960
वर्ष में प्राप्त (षुद्ध सोना)		—	—	—
31.12.2009 को अन्तिम शेष		16	940	589
LVkd d vu|lkj lku dk fooj.k		fdykxke	xke	feyhxke
(1) पी0एन0वी0 लाकर मैहरे में जमा		09	199	000
(2) मन्दिर सैफ में जमा (अषुद्ध सोना)		03	692	460
(3) मन्दिर सैफ में जमा (शुद्ध सोना)		00	093	030
(4) स्वर्ण वाण्ड योजना में जमा (षुद्ध सोना)		03	956	099
अन्तिम शेष		16	940	589
¼2½ pkanh	fDoVy	fdykxke	xke	feyhxke
01.01.2009 को अथषेष	01	65	462	000
वर्ष में प्राप्ति (अषुद्ध चांदी)	00	23	116	200
31.12.09 को अन्तिम शेष	01	88	578	200
LVkd jftLVj d vu|lkj pkanh dk fooj.k %&				
(1) पी0एन0बी0 लाकर मैहरे में जमा शुद्ध चांदी	01	26	286	000
(2) मन्दिर सेफ में जमा अषुद्ध चांदी	00	62	292	200
31.12.09 को अन्तिम शेष	01	88	578	200

4 vad{k.k 'kYd %&

अवधि 01.01.2009 से 31.12.2009 तक मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹72,900/— (बहतर हजार नौ सौ रुपये मात्र) आंका गया। उपरोक्त राषि को मन्दिर अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या : शून्य दिनांक 07.02.2011 के द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ''निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष, षिमला–9'' के नाम भेजने का अनुरोध किया गया है।

5 LFkkiuk 'kk[kk e ikbZ xbZ vfu;ferrk, %&

अंकेक्षण अवधि 01.01.2009 से 31.12.2009 तक मन्दिर न्यास को ₹10,76,98,327/– दान एवं चढावे के रुप में आय प्राप्त हुई तथा इसी अवधि के दौरान मन्दिर न्यास में कार्यरत कर्मचारियों की स्थापना पर ₹6,32,12,474/–खर्च किए गए जो कुल आय का लगभग 59% है।

6 श्री सतपाल मुख्य लांगरी के पक्ष में अध्यक्ष, न्यास कार्यालय के पत्र संख्याः 730–31–टी0ए0–ई, दिनांक 16.07.2008 के द्वारा 78 दिनों का अर्जित अवकाष स्वीकृत किया गया लेकिन उपरोक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि छुटी की स्वीकृति तक कर्मचारी के खाते में मात्र 68 दिनों का अर्जित अवकाष शेष था। अतः कर्मचारी के खाते में जमा छुटियों से अधिक अवकाष स्वीकृत कर के वेतन का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा निम्न विवरणानुसार ₹3334/–की वसूली करके मन्दिर न्यास खातों में जमा करवायी जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके साथ–साथ उक्त अर्जित अवकाष की स्वीकृति संषोधित रूप में करके कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में तदानुसार इन्द्राज किया जाए।

<u>ekl 4@2008 dk fn;k x, osru dk fooj.k</u> %&

	Basic Pay	D.P.	D.A.	C.A.	H.R.A	
	4550	2275	2798	200	175	
10 दिन का वेतन	1517	759	933	67	58	3334

7 श्री पवन कुमार, वरिष्ठ सहायक की सेवा पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारी दिनांक 03.09.2009 तक अर्जित अवकाष पर था। इस की वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख 01.09.2009 थी और इसे वेतन वृद्धि का वित्तीय लाभ 01.09.2009 से दिया गया है जबकि नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ कर्मचारी के अर्जित अवकाष पर होने की स्थिति मे उसके कार्य ग्रहण की तिथि से देय बनती हैं। इस प्रकार कर्मचारी को ₹37/– का अधिक भुगतान किया गया था। कर्मचारी से उपरोक्त राषि की वसूली करके मन्दिर न्यास खाता संख्या 40 में दिनांक 18.01.2011 को जमा करवा दी गई।

8 श्री रमेष कुमार, प्रवक्ता अर्थषास्त्र जो बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास द्वारा संचालित वरिष्ठ माध्यमिक पाठषाला चकमोह में कार्यरत है की सेवा पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारी का दिनांक 01.02.2008 को मूल वेतन ₹8375/– था जिसे दिनांक 01.02.2009 को वार्षिक वेतन वृद्धि लगाकर ₹9,475/–किया गया, जो साधारण वेतन वृद्धि की दर से ₹8650/–होना चाहिए था। अतः ₹275/–की दर से 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां किन परिस्थितियों में

दी गई। इस का कोई उल्लेख न तो सेवा पंजिका में किया गया है और न ही इस सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वेतन निर्धारण आदेषों की प्रति अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की गई। इस प्रकरण से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताओं एवं सूचनाओं का हवाला सेवा पंजिका में देकर वेतन निर्धारण आदेषों की प्रति अगले अंकेक्षण पर सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए अन्यथा अनियमित रूप से किए गए अधिक भुगतान की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली सुनिष्चित की जाए।

9 श्रीमति सुमनबाला (प्रवक्ता) जो बाबा बालक नाथ महाविद्यालय चकमोह में कार्यरत हैं, की सेवा पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त प्रवक्ता दिनांक 03.11.08 से 15.03.2009 तक मातृत्व अवकाष पर थी लेकिन मातृत्व अवकाष की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से नहीं ली गई है और न ही लीव रूल के नियम 43(1) में किए गए प्रावधान से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया है कि कर्मचारी के दो से कम जीवित बच्चे होने पर मातृत्व अवकाष दिया गया था। अतः आवष्यक कार्यवाही करके सक्षम प्राधिकारी से मातृत्व अवकाष की स्वीकृति ली जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

10 <u>edku fdjk;k HkÙkk nsus ckjs</u> %&

मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध व न्यास द्वारा संचालित षिक्षण संस्थानों मे कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों को मकान किराया भत्ते की देयता में पारदर्षिता लाने तथा इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेष सरकार, द्वारा समय–समय पर जारी दिषा निर्देषों के अन्तर्गत अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 2, दिनांक 31.01.2011 के साथ संलग्न प्रपत्र पर आपेक्षित सूचना अपने पति/पत्नी द्वारा (यदि सरकारी/अर्ध सरकारी/स्वायत्तषासी संस्था/बोर्ड/कारपोरेषन में सेवारत हों) मकान किराया भत्ता के आहरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग/कार्याल्य के आहरण एवं संवितरण अधिकारी से प्राप्त करके कार्यवाही की जाए तथा कृत कार्यवाही से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

11 मास 7/2009 में मन्दिर न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालय चकमोह में कार्यरत प्रवक्ताओं को अवधि 01.01.1996 से 31.12.1999 तक संषोधित वेतन मानों के बकाया बिलों का भुगतान ₹18,15,902/– चैक संख्याः 24400 के द्वारा किया गया। उपरोक्त बकाया बिलों के सम्बन्ध में सेवा पंजिकाओं व वेतन निर्धारण विवरणी का अवलोकन करने पर निम्नलिखित टिप्पणियां आपेक्षित हैं :–

¼d½ अध्यक्ष एवं उप–मण्डलाधिकारी (ना0) वडसर द्वारा अनुमोदित वेतन निर्धारण विवरणियों के इन्द्राज सेवा–पंजिकाओं में नहीं किए गए जो एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि सेवा नियमों के नियम एस0आर–199 के अनुसार कर्मचारी की सेवा कार्यकाल में हुए बदलाव चाहे वह नैतिक हो, आर्थिक हो या चरित्र से सम्बन्धित हो के इन्द्राज सेवा पंजिका में किए जाने आवष्यक होते हैं। अतः

सेवा पंजिकाओं को पूर्ण न किए जाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं

¼[k½ बकाया बिलों में दर्षाये गए आहरित वेतन (Drawn Pay) की सत्यापना हेतु स्थापना रजिस्टर (Establishment Check Register) या आहरित वेतन बिलों की प्रतियाँ अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपरोक्त अभिलेख तलाष कर अगले अंकेक्षण पर आवष्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें।

¼x½ प्रत्येक प्रवक्ता की वेतन निर्धारण विवरणी व सेवा–पंजिका का मिलान करने पर निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई :–

¼1½ श्री अजीत सिंह ठाकुर प्रवक्ता गणित, का वेतन 01.01.96 को ₹10,000/– निर्धारित किया गया। तदोपरान्त लगाई गई वेतन वृद्धियों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

fnukd	ey oru
01-01-97	₹10]325@&
01-04-98	₹10]975@&
01-01-99	₹11]300@&
01-01-2000	₹11]625@&

उपरोक्त विवरणानुसार 01.01.97 के बाद वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख 01.01.98 थी जबकि मन्दिर न्यास द्वारा 01.04.98 को दो वेतन वृद्धियाँ दी गई जिसका विवरण सेवा पंजिका में नहीं दिया गया कि किस सन्दर्भ में कर्मचारी को 01.04.98 से दो वेतन वृद्धियाँ दी गई और दोबारा वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख को बदल कर 01.01.99 किया गया। अतः इस तथ्यों को कारणों सहित स्पष्ट करते हुए उनके इन्द्राज सेवा पंजिका में करके वांछित अभिलेख अगले अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए।

¼2½ श्री केसर सिंह देहल, प्रवक्ता राजनीति शास्त्र

fnukd	ey oru
01-01-96	₹10]000@&
01-01-97	₹10]325@&
01-04-98	₹10]650@&
01-01-99	₹10]975@&
01-01-2000	₹11]300@&

इस प्रकरण में भी उपरोक्त क्रम संख्याः 1 में दी गई टिप्पणी के अनुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए।

¼3½ डा0 आनन्द सागर, प्रवक्ता वांटनी की सेवा पंजिका व वेतन निर्धारण विवरणी का अवलोकन करने पर पाया गया कि 01.01.96 को ₹8000–275–13500 का वेतन मान दिया गया और 01.02.97 (वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि) को उपरोक्त प्रवक्ता का वेतन ₹8275/– पर निर्धारित किया जाना था जबकि 01.02.97 को इनका वेतन ₹9100/– निर्धारित किया गया है। सेवा पंजिका मे दी गई अधूरी सूचनाओं के कारण वेतन निर्धारण विवरणी को सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः सेवा पंजिका का पूर्ण कर के निर्धारित वेतन को सत्यापित करवाया जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

12 श्री जीत राम (सेवादार) जो उपायुक्त एवं आयुक्त मन्दिर न्यास के कार्यालय हमीरपुर में तैनात है, को जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009 तक दिए गए वेतन का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारी को ₹3,300/–प्रति माह के (Consolidated Pay) समेकित वेतन पर रखा गया है तथा पिछले कुछ समय से ₹500/– प्रतिमाह की दर से विषेष वेतन दिया जा रहा है जबकि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः फिन(पी0आर0)वी0(7)–15/98–111, दिनांक 01.01.2008 में विषेष वेतन देने का कोई प्रावधान नहीं किया है। अतः सरकार द्वारा जारी दिषा–निर्देषों के विपरीत विषेष वेतन देने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राषि की वसूली कर के मन्दिर न्यास खातों में जमा करवायी जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

deZpkjh dk uke	fo'k"k osru d: i e vf/kd Hkqxrku dh vof/k	nj	dqy olwyh ;ksX; jkf'k
जीत राम	1/2009 से 12/2009	500/–	₹6000/–

13 foKkiu ij 0;; %&

वर्ष 2009 में विज्ञापन पर किए गए व्यय का अवलोकन करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2009 में इस मद पर ₹9,35,942/–खर्च किए गए। उपरोक्त व्यय में से अधिकतर राषि विभिन्न संस्थाओं द्वारा छपवाई गई पत्रिकाओं में विज्ञापन देने हेतु बांटी गई हैं जिससे न ही मन्दिर न्यास का कोई हित कर कार्य हुआ है और न ही श्रद्धालुओं के कल्याणार्थ इस राषि का उपयोग किया गया है। अतः इस प्रकार के अनावष्यक खर्चों के ऊपर अंकुष लगाने की आवष्यकता है ताकि मन्दिर न्यास निधि का अपव्यय न हो।

14 मास 7/2009 में मैं0 षिवा न्यूज़ एजैन्सी चकमोह जिला हमीरपुर को उन के बिल संख्याः 687, दिनांक 6/2009 व 688, माह 6/2009 के द्वारा क्रमषः ₹92/–व ₹110!– का भुगतान बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास औषधालय दियोट सिद्ध व शास्त्रीनगर चकमोह के औषधालय में समाचार पत्रों की आपूर्ति हेतू किया गया। मन्दिर न्यास कार्यालय द्वारा अंकेक्षण के दौरान यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या औषधालयों में समाचार पत्रों को लगाया जाना मन्दिर न्यास कमेटी द्वारा अनुमोदित किया गया था। उपरोक्त के अभाव में प्रतिमाह समाचार पत्रों की आपूर्ति हेतु किए जा रहे भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः इस सन्दर्भ में वांछित कार्यवाही करके अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए अन्यथा औषधालयों में समाचार पत्रों को तत्काल से बन्द करवाया जाए क्योंकि मन्दिर न्यास में पुस्तकालय हेतू विभिन्न समाचार पत्र लगाए गए हैं जिस कारण औषधालय में अलग से समाचार पत्र लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता।

15 ₹1450/– का भुगतान आरयन सोनी जो मन्दिर न्यास द्वारा संचालित माडल स्कूल चकमोह में कक्षा चौथी में पढ़ता था, की बाजू में चोट लगने के कारण करवाए गए इलाज के सम्बन्ध मे किया गया वाऊचर का अवलोकन करने पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ आपेक्षित हैं :–

¼1½ उपरोक्त छात्र के इलाज पर किए गए व्यय का भुगतान छात्र निधियों से किया जाना आपेक्षित था क्योंकि इस तरह के खर्चों की प्रति पूर्ति हेतु छात्रों से निधियों की प्राप्ति की जाती है। अतः इस राषि का भुगतान छात्र निधियों से न करके मन्दिर न्यास खातों से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

¼2½ छात्र का इलाज सरकारी चिकित्सालय में न करवा कर निजी अस्पताल श्री कृष्णा हास्पिटल नजदीक बस स्टैंड हमीरपुर मे करवाया गया। यदि इलाज सरकारी चिकित्सालय में करवाया जाता तो निजी अस्पताल द्वारा लिए गए परीक्षण प्रभारों की अपेक्षा कम राषि का भुगतान किया जाता। अतः हमीरपुर में क्षेत्रीय चिकित्सालय होने के बावजूद छात्र को निजी अस्पताल में इलाज हेतु ले जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए

16 मास 7/2009 मैं0 सदा मैडिकेयर विझडी, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर को ₹25,000/–का भुगतान मन्दिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु चलाई जा रही आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरी के लिए दवाईयां खरीदने हेतु किया गया। उपरोक्त बिल में खरीदी गई दवाईयों का अवलोकन करने पर पाया गया कि इनमें ऐसी दवाईयां भी खरीदी गई हैं जिन्हें सरकार द्वारा सरकारी स्तर पर संचालित आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरी में मुफ्त प्रदान की जाती है। मन्दिर न्यास द्वारा संचालित आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरी बिना लाभ–हानि के श्रद्धालुओं तथा स्थानीय लोगों की सेवा करने के उदेष्य से चलाई जा रही है। यदि सम्बन्धित विभाग से इस मामले को उठाया जाए और अन्य

डिस्पैन्सरियों की तरह मुफ्त दवाईयों की आपूर्ति की जाए तो मन्दिर न्यास पर इन दवाईयों की खरीद करने पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सकता है।

17 मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध द्वारा सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग बडसर मण्डल, जिला हमीरपुर के पास दियोट सिद्ध से सलौणी सड़क के किनारे 3 हैंडपम्प स्थापित करने के लिए डिपोजिट कार्य के रूप में ₹7,49,940/– चैक संख्याः 24396, दिनांक 26.06.2009 के माध्यम से जमा करवाए गए। उपरोक्त जमा करवायी गई राषि के विरूद्ध विभाग द्वारा स्थापित हैंडपम्पों से सम्बन्धित प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का अवलोकन करने पर पाया गया कि सिचांई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्राक्कलन में दर्षायी गई कार्य की प्रमात्रा के भीतर राषि का समायोजन किया गया जबकि मन्दिर न्यास द्वारा विभाग से वास्तव में निष्पादित कार्य की रिपोर्ट माप तालिका सहित प्राप्त करके यह सुनिष्चित किया जाना आपेक्षित था कि विभाग द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण–पत्र वास्तव में निष्पादित कार्य की प्रमात्रा के अनुसार सही है। अतः इस सन्दर्भ में विभाग से वास्तव में निष्पादित कार्य का तट–विषलेषण प्राप्त करके उपरोक्त सन्दर्भित आषय की पुष्टि की जाए तथा अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखायी जाए।

18 मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध द्वारा ₹18,000/– का भुगतान ऋषी मुनी इन्ट्रप्राइजिज शाहतलाई को चैक संख्याः 817917 के माध्यम से पुलिस चौकी दियोट सिद्ध द्वारा किराये पर ली गई टैक्सी के सन्दर्भ में किया गया। उपरोक्त वाऊचर का अवलोकन करने पर पाया गया कि पुलिस चौकी दियोट सिद्ध द्वारा किराये पर ली गई टैक्सी बारे मन्दिर न्यास के किसी भी अधिकारी द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई थी और न ही इस सन्दर्भ में किया गया भुगतान तर्क संगत लगता है क्योंकि मेलों के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा टैक्सी के द्वारा करने का कौई औचित्य नहीं बनता। फर्म द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल का विष्लेषण निम्न प्रकार से है :–

Retention Charges per day	500x30	₹15000/-
Vehicle used of 30 days	695 km @ ₹7/-	₹4865/-
	Total amount	**₹19865/-**
	But amount paid	**₹18000/-**

उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित टिप्पणियां आपेक्षित हैं :–

(i) सक्षम प्राधिकारी के टैक्सी किराये पर लेने की स्वीकृति लिए बिना भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राषि की वसूली सम्बन्धित से करके मन्दिर न्यास खातों में जमा करवायी जाए।

(ii) अनावष्यक रूप में टैक्सी को पुलिस चौकी द्वारा अपने पास रखकर रिटेन्षन चार्जिज के रूप में ₹15,000 / –के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iii) 30 दिनों में 695 कि0मी0 चलाई गई टैक्सी की प्रमाणिकता / सत्यापना टैक्सी की लॉग बुक से की जाए कि वास्तव में दर्षायी गई यात्राएं मन्दिर न्यास व श्रद्धालुओं की सुरक्षा से सम्बन्धित ही थी।

19 मास 7 / 2009 में श्री नरेष कुमार गुप्ता, (वकील) षिमला को ₹34000 / – का भुगतान निम्नलिखित केसों की पैरवी करने हेतु किया गया। प्रत्येक मामले की पैरवी हेतू तय की गई फीस के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके अभाव में किए गए भुगतान की सत्यापना नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख तैयार करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए। तथा इस के अतिरिक्त अंकेक्षण को यह भी अवगत नहीं करवाया गया कि फीस का भुगतान अन्तिम निर्णय होने पर किया गया है। न्यायालय के अन्तिम आदेषों की प्रति अगले अंकेक्षण पर दिखायी जाए।

Øe la[;k	dsl dk 'kh"kd	Hkqxrku dh xbZ jkf'k
1	Contempt Surinder Vs Sukh Dev.	₹8500/-
2	Contempt Ramesh Vs BBNT.	₹8500/-
3	LPA Ramesh Vs BBNT.	₹8500/-
4	Sulekh Sharma Vs BBNT.	₹8500/-
		₹34000/-

20 jksdM+ cgh;ksa lR;kfir djus ckjs %&

रोकड़ बहीयों का अवलोकन करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध द्वारा विभिन्न निधियों के लेखांकन हेतू लगाई गई रोकड़ बहीयां अवधि 29.09.2009 से 31.12.2009 तक मन्दिर अधिकारी / अध्यक्ष मन्दिर न्यास द्वारा हस्ताक्षरित / सत्यापित नहीं की गई है जो एक गम्भीर अनियमितता है। हिमाचल प्रदेष वित्तीय नियम 1971 के नियम 2.2.3 के अनुसार किसी कार्यालय की रोकड़ बहीयां उस के अध्यक्ष या किसी अन्य जिम्मेदार कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर करके प्रत्येक लेन–देन की मद को सत्यापित करने का प्रावधान था। इस प्रकार अवधि 29.09.09 से 31.12.09 तक विभिन्न रोकड़ बहीयों में की गई लेन–देन की प्रविष्टियों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित न किए जाने के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः नियमुानसार आपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

21 मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध द्वारा प्रत्येक वर्ष के बजट में किए गए प्रावधानानुसार हिस्सेदारों को देय राषि को मुख्य खाते जैसे चढ़ावा खाता या दान खाते से निकाल कर निम्नलिखित खातों में हस्तांतरित किया गया है :–

[kkrk l[;k	ftl vf/kdkjh d uke [kkrk lpkfyr gA	cd dk uke
169	मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध	यूको बैंक दियोट सिद्ध
88	अध्यक्ष, एवं उप–मण्डलाधिकारी मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध	यूको बैंक बिझडी, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर

दिनांक 31.12.2009 को इन खातों में जमा राषियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि हिस्सेदारों को राषियां वितरित करने के उपरान्त एक बड़ी रकम इन खातों में अनुपायोगी पड़ी है और इन राषियों को मन्दिर न्यास की वित्तीय स्थिति में भी नहीं दर्षाया जाता जिस कारण मन्दिर न्यास की वित्तीय स्थिति इन राषियों से कम दर्षायी जा रही हैं दिनांक 31.12.2009 को इन खातों में जमा राषियों का विवरण निम्नलिखित है :–

[kkrk l[;k	cpr [kkr e tek jkf'k
169	₹8]70]841@&
83	₹23]70]150@&

अतः अनुपालना हेतु परामर्ष दिया जाता है कि उपरोक्त खातों में पड़ी अनुपयोगी राषि को निकाल कर सावधि जमा योजना में निवेषित किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित खातों में जमा पड़ी राषियों पर बचत बैंक खाते पर देय ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त किया जा रहा हैं जबकि इन खातों में पिछले कई वर्षों से कोई लेन–देन नही किया गया है। अतः इन राषियों को भी निकाल कर सावधि जमा योजना में निवेषित किया जाए ताकि ऊंची दर पर ब्याज प्राप्त करके मन्दिर न्यास की आय बढ़ाई जा सके तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

[kkrk l[;k	'kh"kd	jkf'k
000085	मन्दिर निधि	25,313 ⁄ –
000084	गिरावट निधि (Depreciation Fund)	10473 ⁄ –
000086	संचित निधि	17725 ⁄ –

22 fuek.k dk;l %&

कार्य का नाम   Cons. Of additional accommodation at B.B.N. High School Chakmoh.

S.H._ Cone of office in ground Floor and Room No. 8 & 9 in first floor.

अनुमानित लागत ₹999900 / —

उपरोक्त बिल का अवलोकन करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा इस कार्य को करवाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। अतः अनुपालना हेतू परामर्ष दिया जाता है कि उक्त कार्य निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

23 <u>fu{ki fuek.k dk;k gr tkjh jkf’k d mi;kfxrk iek.k i= o dk; lEiUUk iek.k i= ikIr u djuk</u> %&

मन्दिर न्यास द्वारा ₹665330 / —का भुगतान अधिषासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर को चैक संख्या 070375, दिनांक 23.05.2009 के द्वारा तलाई दियोट सिद्ध सड़क किलोमीटर 0 / 0 से 2 / 615 (SH : M/T on KM 0/0 to 0/450) की विषेष मुरम्मत करवाने हेतु डिपोजिट कार्य के रूप में किया गया। अधिषासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग मण्डल घुमारवीं कार्यालय के पत्र संख्याः PW-GHD-DBS-R-1 Talai Deotsidh road/08-17074, दिनांक 27.12.2008 के द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के अग्रेषण पत्र में दर्षायी शर्त के अनुसार निधि (Fund) प्राप्ति के दो मास के भीतर उपरोक्त कार्य निष्पादित करना तय हुआ था। लेकिन मन्दिर अधिकारी दियोट सिंद्ध के पत्र संख्याः TBBNT/To/Deposit Work/2009/910, दिनांक 21.08.09 के द्वारा अधिषासी अभियन्ता से उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया था जो अंकेक्षण की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ जिसके अभाव में यह सुनिष्चित नहीं किया जा सका कि उपरोक्त विभाग के पास जमा करवायी गई राषि के विरूद्ध उक्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है अथवा नहीं।

अतः इस सन्दर्भ में सम्बन्धित विभाग से अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए। ताकि उक्त भुगतान की गई राषि के उपयोग की पुष्टि की जा सके। अतः अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

इसी प्रकार निम्नलिखित कार्य करवाने हेतु विभिन्न विभागों के पास डिपोजिट कार्यों के रूप में जमा करवायी गई राषियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि अंकेक्षण समाप्ति तक इन राषियों के विरूद्ध कार्यों का निष्पादन नहीं किया गया था। अर्थात सम्बन्धित विभागों से न तो जारी राषियों के एवज़ में उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त किए गए हैं तथा न ही कार्य सम्पन्न करने सम्बन्धी

प्रमाण–पत्र प्राप्त किए गए हैं, जिसके अभाव में भुगतान की गई राषि के उपयोगिता के सम्बन्ध में आवष्यक सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः निम्न समस्त प्रकरणों में सम्बन्धित विभागों से सषक्तता के साथ मामला उठाते हुए अपेक्षित कार्य को समय पर सम्पन्न करवाने के साथ–साथ तत्सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा कार्य पूर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र शीघ्र प्राप्त किए जाएं ताकि भुगतान की गई राषि के उपयोग की तदानुसार पुष्टि की जा सके व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए। डिपोजिट कार्यो, जिनके उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं का विवरण निम्न प्रकार से है :–

Øe la[;k	dk;Z dk uke	foHkkx dk uke ftlds ikl jkf'k tek gS	pSd la[;k@fnukad	jkf'k
1	Replace of Fillter media of Lwss at 99 Village Deotsidh. Istand 2nd phase	H.P.I.P.H, Deptt. Barsar Distt Hamirpur	070380 06.08.2009	999800/–
2	C/o Link road to Math from Salouni to Deotsidh Road KM 0/0 to 2/300 (P/L Soiling, wearing and Tarring in Km 0/5 to 1/00	H.P.P.W.D Barsar Distt, Hamirpur	983951 06.11.09	688150/–
3	Inter Linking of 11KV HT line chakmoh feedees with 11 KV line in Talai under ESD, HPSEB Kotla.	H.P.S.E.B Barsar Distt, Hamirpur	983956 03.09.2009	850370/–

24 vfxzeksa dk vR;f/kd nsjh ls lek;kstu u djuk%&

वर्ष 2009 में मन्दिर न्यास खातों से उपायुक्त एवं आयुक्त मन्दिर न्यास के कार्यालय हमीरपुर व अध्यक्ष एवं उप–मण्डलाधिकारी (नागरिक) बडसर जिला हमीरपुर को जारी किए गए कन्टीजैन्सी अग्रिमों का अवलोकन करने पर पाया गया कि इन अग्रिमों से सम्बन्धित समायोजन वाऊचर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही गत वर्षों में दिए गए लाखों रुपये के अग्रिमों को ही समायोजित करवाया गया। यह प्रक्रिया गम्भीर अनियमितता के साथ–साथ

आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में गत प्रत्येक वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवदेन में भी इन अग्रिमों के समायेाजन बारे आपत्ति उठाने के बावजूद समायोजन लेखे प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं अपितु अग्रिम दर अग्रिम जारी किए जाने की प्रथा यथावत जारी है। अतः इन मामलों को उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आषय के साथ लाया जाता है कि अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दिए गए प्रत्येक सुझाव/आपत्ति को अनुपालना करवाने हेतु त्वरित उचित पग उठाए जाएं व निम्न समस्त प्रकरणों में अपेक्षित समायोजन लेखे शीघ्र प्राप्त करके निवारण किया जाए अन्यथा इन अग्रिमों के अनावष्यक रूप से हस्तगत/लम्बित रहने की स्थिति में इसकी त्वरित वसूली सुनिष्चित की जाए ताकि मन्दिर न्यास निधि पर अनावष्यक वित्तीय बोझ न पड़े।

o"k 2009 e fn, x, vfxek dk fooj.k %&

¼d½ vk;Dr ,o mik;Dr dk;ky; gehjiij

Øe l[;k	fnukd	jkf'k
1	27.01.2009	1,00,000/—
2	17.03.2009	1,00,000/—
3	22.05.2009	1,00,000/—
4	07.08.2009	1,00,000/—
5	27.10.2009	1,00,000/—
	dy ;kx	₹5]00]000@&

¼[k½ v/;{k ,o mi&e.Mykf/kdkjh ¼uk0½ cMlj %&

1	10.11.2009	2,00,000/—

25 xkfM;k dh ykx cd dk vd{k.k

xkMh l[;k% **HP-21-3095** :-

मन्दिर न्यास की गाड़ी (टैम्पू) संख्या HP-21-3095 की लॉग बुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 18.03.2009 को लंगर के लिए सब्जी लाने हेतु दियोट सिद्ध से हमीरपुर व वापसी कुल 102 कि0मी0 गाड़ी चलाई गई थी मगर लंगर की सब्जियों से सम्बन्धित रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि उस दिन कोई भी व किसी भी प्रकार की सब्जियाँ मन्दिर के लंगर में नहीं आई थी। इस प्रकार यह यात्रा औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होती। अतः इस प्रकरण में जाँच करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा सम्बन्धित से नियमानुसार 102 कि0मी0 चलाई गई गाडी की यात्रा को प्राईवेट करार देते हुए आवष्यक वसूली सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 **xkMh la[;k HP-22-0001 :-**

मन्दिर न्यास की गाड़ी संख्याः HP-22-0001 की लॉग बुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि अर्थात वर्ष 2009 के दौरान कुल 6714 कि0मी0 गाडी चली मगर जाँच में पाया गया कि इस अवधि में यह गाड़ी निम्न विवरणानुसार कुल 1012 कि0मी0 ही मन्दिर न्यास से समबन्धित कार्य हेतु प्रयोग की गई तथा कुल 5702 कि0मी0 अन्य कार्यों व उद्देष्यों हेतू गाड़ी का प्रयेाग किया गया था जिसका ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित से आवष्यक वसूली सुनिष्चित की जाए तथा भविष्य में गाड़ी का प्रयोग केवल मन्दिर न्यास से सम्बन्धित कार्य के लिए ही सुनिष्चित किया जाए।

fnukd	U;kl ls lEcfU/kr dk;Z gsrq iz;kx fd0eh0
07-03-09	106
14-03-09	128
20-07-09	92
28-07-09	96
21-08-09	88
29-08-09	68
04-10-09	89
14-10-09	92
30-10-09	88
16-11-09	95
23-12-09	70
dqy ;ksx	1012

27 **xkMh la[;k HP-21-A-2001 :-**

¼d½ मन्दिर न्यास की गाड़ी संख्याः HP-21A-2001 की लॉग बुक का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कुल 199 कि0मी0 गाडी का प्रयोग हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण हेतु किया गया जो कि किसी भी प्रकार से मन्दिर न्यास से सम्बन्धित कार्य नहीं था जिस का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा मन्दिर न्यास को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई उचित स्त्रोत से की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए :–

fnukd	r; nwjh fd0eh0
03-03-09	24

04-03-09	43
09-03-09	20
12-03-09	36
13-03-09	76
	199

¼[k½ अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि अर्थात वर्ष 2009 के दौरान मन्दिर न्यास की गाड़ी संख्याः HP-21A-2001 की लॉग बुक के अनुसार गाड़ी का अधिकतर प्रयोग मन्दिर न्यास के अतिरिक्त अन्य कार्यों जैसे की कानून–व्यवस्था इत्यादि उद्देष्यों हेतु किया गया था जिस का औचित्य स्पष्ट करें। तथा भविष्य में गाड़ी का प्रयोग केवल न्यास के कार्यों के लिए सुनिष्चित किया जाए व निजी उपयोग हेतु की गई यात्रा पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से नियमुनसार वसूली सुनिष्चित की जाए।

28 संस्था द्वारा निम्नलिखित गाडियों की लॉग–बुक जाँच के लिए अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट करें तथा अब वांछित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान आवष्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

Øe la[;k	xkMh la[;k
1	HP-21A-3711
2	HP-21A-6800

29 अंकेक्षण में पाया गया कि मन्दिर न्यास ने अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित यूको बैंक व दी कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित से किराये की वसूली नहीं की गई जबकि यह मामला गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी उठाया गया था मगर जाँच में पाया गया कि इस सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति पर मन्दिर न्यास के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई परिणामस्वरूप मन्दिर न्यास को उपरोक्त बैंकों से किराया न वसूलने पर आर्थिक रूप से किराये से प्राप्त होने वाली आय का नुकसान हो रहा है। अतः इन बैंकों से किराया न वसूलने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इन बैंकों से निर्धारित माप दण्डों के अनुसार देय किराये की वसूली तुरन्त सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 अंकेक्षण में पाया गया कि मन्दिर न्यास के द्वारा पुलिस चौकी के प्रयोग हेतु पुलिस विभाग को मन्दिर न्यास की सराय संख्याः 1 जो कि चार मंजिला भवन है का पूरे का पूरा परिसर उपलब्ध करवाया गया है। जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित ₹25,814/– का भुगतान सराय संख्याः 1 के बिजली के बिलों का किया गया। इसके अतिरिक्त वार्षिक आधार पर रंग–रोगन व मुरम्मत का कार्य भी मन्दिर न्यास के द्वारा किया जाता है व पानी के बिलों का भुगतान भी

मन्दिर न्यास के द्वारा किया जाता है मगर इस परिसर की पुलिस विभाग से किराये की वसूली नहीं की गई। इस प्रकार मन्दिर न्यास को अनावष्यक रूप से वित्तीय बोझ उठाने के साथ–साथ किराए के रूप में वसूली न करके अप्रत्याषित रूप से हानि हो रही है जो स्वतः ही आपत्तिजनक एवं चिन्ताजनक है। अतः मन्दिर न्यास की सराय संख्याः 1 का पुलिस विभाग से किराया न वसूलने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा पुलिस विभाग से निर्धारित माप–दण्डों के अनुसार देय किराये की वसूली सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 मन्दिर न्यास के सफाई से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्याः 257 के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 12.03.2009 को 1000 झाडू व दिनांक 10.06.09 को 10 झाडू स्टॉक रजिस्टर के अनुसार कम पाए गए जिस की विभागीय जाँच की जाए तथा वास्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा 1010 झाडूओं की वर्तमान बाजार मुल्य के आधार पर सम्बन्धित से वसूली की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32 मन्दिर न्यास के निर्माण स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 31.05.2009 तक PVC Waste Pipe 23 Kg अलग–अलग समय पर खरीदी गई मगर इसके उपभोग को अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया जिसका अभिलेख सहित औचित्य स्पष्ट करें तथा वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

33 अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा संचालित कंटीन द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹62/– की विक्रय राषि योगों में गलती के कारण कम जमा करवाई गई। संस्था ने अंकेक्षण के द्वारा स्पष्ट करने पर इस राषि को सम्बन्धित से स्थल पर ही वसूल करके दिनांक 27.01.2011 को निधि में जमा करवा दिया गया जिसकी सत्यापना अंकेक्षण के द्वारा स्थल पर ही कर दी गई। भविष्य में इस प्रकार की चूक की पुनरावृति को रोकने हेतु आवष्यक पर्यावेक्षण किया जाए।

j lhn l [;k	fnukd	foØ; jkf'k	tek jkf'k	vUrj
35301 से 35327	18.03.09	250	240	10
35723 से 35766	26.03.09	385	379	06
34668 से 34675	14.03.09	118	72	46
			dqy ;ksx	62

34 <u>dSUVhu [kkrk</u>

¼1½ <u>foÙkh; fLFkfr</u> %& मन्दिर न्यास दियोट सिद्ध द्वारा संचालित कैन्टीन खातों की अंकेक्षण अवधि 1/2009 से 12/2009 तक वित्तीय स्थिति निम्नलिखित थी :–

दिनांक 01.01.2009 को अथषेष 3475424.25

अंकेक्षण अवधि में प्राप्त आय 3870514.00

कुल राषि 7345938.25

अंकेक्षण अवधि में व्यय (–) 2771342.00

दिनांक 31.12.2009 को अन्तिम शेष 4574596.25

¼2½ vfUre 'ks"k dk cSd [kkrk d vuqlkj fooj.k ½&

(1) बैंक खाता 127 में जमा राषि 616743.25

(2) सावधि जमा में निवेषित राषि 3957853.00

कुल राषि 4574596.25

35 माह 4/2009 में मैं0 श्री गणेष इन्ट्रप्राईजिज शाहतलाई तहसील झंडुता, जिला बिलासपुर को उनके बिल संख्याः 225 के द्वारा ₹21600/– का भुगतान शीतल पेय खरीदने हेतु किया गया। उपरोक्त वाऊचर का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2009 के लिए शीतल पेय खरीदने के लिए प्रत्येक ब्रांड़ जैसे पैप्सी, कोका–कोला व कैम्पा कोला की एक–एक निविदा प्राप्त करके खरीद की गई है। मन्दिर न्यास कैन्टीन खातों का रख–रखाव करने वाले कर्मचारी द्वारा अंकेक्षण में मैखिक रूप से बताया गया कि ये फर्में इस क्षेत्र हेतु उपरोक्त शीतल पेयों के ब्रांड़ की आपूर्ति करने के लिए (sole Distributer) के रूप में अधिकृत थी लेकिन इस आषय की पुष्टि हेतु संस्था द्वारा फर्मों के एकल वितरक सम्बन्धित प्रमाण–पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः शीतल पेय बनाने वाली कम्पनीयों द्वारा इस क्षेत्र हेतु एकल–वितरक अधिकृत फर्मों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए तथा इस के अतिरिक्त विभिन्न ब्रांडों की कम्पनीयों द्वारा निर्धारित दरों की मूल्य सूची लेना भी सुनिष्चित की जाए ताकि विभिन्न फर्मों द्वारा ली गई दरों को कम्पनी की दर सूची से मिलान करके भुगतान की गई राषि का सत्यापन किया जा सके।

36 fofo/k ½& ¼d½ मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न निधियों हेतु लगाई गई रोकड़ बहियों का रख–रखाव /लेखांकन दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) पर नहीं किया जा रहा है और न ही माहवार रोकड़ बहीयों का मिलान बैंक खातों से किया जा रहा है। अतः अनुपालना हेतु परामर्ष दिया जाता हे कि प्रत्येक निधि में कुल जमा राषि का विवरण रोकड़ बहीयों में बैंक समाधान विवरण बना कर दिया जाए ताकि किसी निष्चित तिथि को यह पता लगाया जा सके कि उस निधि की वित्तीय स्थिति क्या है।

¼[k½ अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि वाऊचर फाईलों की वाऊचिंग नही की गई है। जिस कारण रोकड़ बही में एक भुगतान वाऊचर को ढूंढने के लिए पूरी वाऊचर फाईल तलाष

करनी पड़ती है जिसके परिणामस्वरूप अंकेक्षण में अधिक समय व्यर्थ जाता है। अतः न्यास कार्यालय व अंकेक्षण सुविधा हेतु वाऊचर फाईलों की वाऊचिंग करना अत्यावष्यक है।

¼x½ मन्दिर न्यास निधियों से खरीदे गए स्टोर स्टॉक के अतिरिकत श्रद्धालुओं से दान स्वरूप प्राप्त स्टोर/स्टॉक का वर्षवार विधिवत प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाए तथा प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान पाई गई अनुपयोगी वस्तुओं की समस्त विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त नीलामी की जाए तथा प्राप्त राषि को मन्दिर न्यास खातों में जमा करवा कर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाऐं।

37 <u>y?kq vkifÙk fooj.khdk</u> ¼& इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

38 <u>fu"d"kZ</u> ¼& लेखाओं में सुधार की आवष्यकता है इसके अतिरिक्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अंकेक्षण आपत्तियों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करवाया जाना अपेक्षित है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

i`"Bkadu la[;k¼&फिन(एल0ए)एच(2)सी(XIV)195/97–खण्ड–5, दिनांक, षिमला–171009.

izfrfyfi ¼& निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

(1) प्रधान सचिव, (भाषा विभाग) हिमाचल प्रदेष षिमला–171002.

(2) उपायुक्त एवं आयुक्त, मन्दिर न्यास हमीरपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेष।

(3) निदेषक, (भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

(4) मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ दियोट सिद्ध, जिला हमीरपुर को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र प्रेषित करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

¼vuli dlekj ?kk : ½